भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 506
जिसका उत्तर 25.07.2024 को दिया जाना है

राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम

506. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) को नीति आयोग और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम (एनईबीपी) के अंतर्गत 50,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रचालन करने का अधिदेश दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) देश में विद्युत बसों के वितरण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या केंद्र सरकार ने तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) नीति आयोग ने दिनांक 13.05.2022 के पत्र के माध्यम से कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) से 50,000 ई-बसों की मांग एकत्रीकरण के लिए कार्यक्रम प्रबंधक की भूमिका निभाने का अनुरोध किया है।

(ख) 19 जुलाई, 2024 तक इलेक्ट्रिक बसों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) पिछले पांच वर्षों में तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम को वित्तीय सहायता के रूप में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

अनुबंध

'राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम' के संबंध में डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन द्वारा पूछे गए दिनांक 25.07.2024 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 506 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य का नाम	19.07.2024 तक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या	
	शुद्ध इलेक्ट्रिक बसें	मजबूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसें
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	40	-
आंध्र प्रदेश	131	17
असम	215	-
बिहार	27	3
चंडीगढ़	81	-
छत्तीसगढ	4	29
दिल्ली	2011	-
गोवा	124	-
गुजरात	894	1
हरियाणा	28	3
हिमाचल प्रदेश	123	-
जम्मू और कश्मीर	244	-
झारखंड	7	8
कर्नाटक	1195	84
केरल	191	-
लद्दाख	19	-
मध्य प्रदेश	115	6
महाराष्ट्र	2111	3
मणिपुर	1	-
मिजोरम	1	-
ओडिशा	161	१३
पुदुचेरी	22	-
पंजाब	17	-
राजस्थान	24	-
तमिलनाडु	153	-
दादर नागर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश	25	-
उत्तराखंड	35	1
उत्तर प्रदेश	758	3
पश्चिम बंगाल	181	34

उपर्युक्त आंकड़ों में वाहनों की श्रेणी में बसें, ओमनी बसें और शैक्षिक संस्थान की बसें शामिल हैं।
दिए गए विवरण केन्द्रीयकृत वाहन 4 के अनुसार डिजिटलीकृत वाहन रिकॉर्ड के लिए हैं।
तेलंगाना और लक्षद्वीप के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं क्योंकि वे केन्द्रीयकृत वाहन 4 में नहीं हैं।

*****